विषय :—पद, सेवाओं का वर्गीकरण ।

सेवा:—

(1) वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार ।

(2) सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार

उपार्युक्त विशय पर संयुक्त पंजाब सरकार के अशा-क्रमांक 9875-6 जी: एस-63, दिनांक 21-8-63 (प्रति संग्लन की जाता है) की ओर ध्यान देने की कृपा करेगें ।

2. कुछ समयपूर्व से उपरोक्त अशासकीयपत्र में राजपत्रित पदों की श्रेणी-I में अपग्रेड करने के लिए वेतन की जो 1000/-रुपये से अधिकतम की सीमा निर्धारित की हुई है और जो पदों के ग्रेड में परिशोधन करने के कारण अप्रचलित हो गई है, को बढ़ाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा इस सम्बन्ध में सरकार ने विस्तार-पूर्वक विचार के पच्चात यह निर्णय लिया है कि अब किसी राजपत्रित पद को क्लास-I तब ही बनाया जाएगा जिस पद के ग्रेड को अधिकतम 1100/- रुपये या इससे अधिक होगा । इस निर्णय अनुसार ऐसे सभी पदों को अटोमैटीकली श्रेणी-I का घोषित नहीं किया जा सकेगा बल्कि इस आधार पर प्रत्येक प्रस्ताव के औचित्य को देखते हुए ही इस बारे में निर्णय किया जाएगा तथा सभी प्रस्ताव इस विभाग को विचारार्थ तथा-निर्णय के लिए भेजे जायेंगे ।

हस्ता

उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवायें,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

वित्तायुक्त, सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

अशा: क्रमांक 7006-2 जी: एस-1-72, दिनांक चण्डीगढ़ 1 दिसम्बर, 1973